

पुस्तकालय

(2)
3360
26/7/14



22 JUL 2014 असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन मासा

वि०स०प्र०स० ७५४ तिबि २६-७-१५

पंचदश विधान सभा
चतुर्दश सत्र

२२ जुलाई, २०१४ ई०
मंगलवार, तिथि- ३१ आषाढ़, १९३६(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय- ११:०० बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। प्रश्नोत्तर काल।

अल्पसूचित प्रश्न सं०-२५/श्री पवन कुमार जायसवाल

श्री वृशिण पटेल, मंत्री : १- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुतः राज्य सरकार द्वारा राज्य के वैसे अंगीभूत महाविद्यालयों में जहां आधारभूत सुविधा उपलब्ध है तथा कॉलेज प्रशासन बी०एड० कोर्स के संचालन हेतु इच्छुक है, वहां बी०एड० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजने का निदेश सभी महाविद्यालयों को दिया गया है।

२- स्वीकारात्मक है।

३- उत्तर उपर्युक्त अंश-१ के आलोक में विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर समीक्षोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि २०११-१२ में सरकार का ये निर्णय था- माननीय मंत्री जी पूर्वी चम्पारण में ६ अनुमंडल हैं और सात कन्सटीच्वेंट कॉलेज हैं अंगीभूत महाविद्यालय हैं। हम माननीय मंत्री से आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि सिकरहना अनुमंडल में जवाहर लाल मेमोरियल कॉलेज सभी ढंग से संपन्न है और उसके पास भवन से लेकर सभी संसाधन उपलब्ध है तो क्या माननीय मंत्री जी इस वित्तीय वर्ष में सिकरहना अनुमंडल के जवाहर लाल मेमोरियल कॉलेज, घोड़ासाहन में बी०एड० की पढ़ाई शुरू कराने का विचार रखते हैं ?

श्री वृशिण पटेल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कहा कि हमने सभी महाविद्यालयों को भेजा है, अगर उसमें जो इन्फ्रास्ट्रक्चर उनका होगा, उनका रिक्वेस्ट लेटर आयेगा तो उसको कन्सीडर करेंगे, यह तो पौलिसी मैटर है हम तो घोषित कर चुके हैं।

श्री नवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, ये सरकार का निर्णय था कि प्रत्येक अनुमंडल में करना है। हम चूंकि किसी क्षेत्र के एम०एल०ए० हैं, हमारे क्षेत्र में कन्सटीच्वेंट कॉलेज हैं घोड़ासाहन जवाहर लाल मेमोरियल कॉलेज- हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं कि सिकरहना अनुमंडल के जवाहर लाल मेमोरियल कॉलेज को जो संसाधन उपलब्ध है उसमें मंत्री महोदय बी०एड० की पढ़ाई करवाने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य पवन जी, माननीय मंत्री ने बहुत ही स्पष्ट तौर से कहा ये केवल आपके क्षेत्र का बता नहीं कहे, पूरे बिहार की बात इन्होंने की और कहा कि जब इनके पास आपके क्षेत्र का या अन्य क्षेत्रों का जो भी आवेदन नियमानुकूल आयेगा उसको कन्सीडर करेंगे, देखेंगे।

श्रीमती मीना द्विवेदी:- अध्यक्ष महोदय, अरेराज हमारा अनुमंडल है और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी गये थे, वहाँ जाकर भवन को देखे, वहाँ शिक्षक भी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ वादा करके आये थे कि मैं भवन बनवा दूंगा और पिछले बार अंजनि कुमार सिंह जी ने बोला था कि पैसा चला गया है, जब अभी तक वहाँ एक भी पैसा नहीं गया है जैसा कि माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि अभी कोई विचार नहीं है, वहाँ पर मात्र एक ही डिग्री कॉलेज है, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे भवन के अभाव में इधर-उधर भटकते हैं, तो नीतीश कुमार जी ने आदेश दिया था, तो उस आदेश का भी कुछ नहीं हुआ, तो इस मामले पर सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री नंदकिशोर यादव, नेता विरोधी दल:- महोदय, माननीय सदस्य ने एक विषय रखा है, क्या सरकार अपने मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करना चाहती है और अगर करना चाहती है आदेश का पालन, तो कब तक और कितने दिनों में ?

श्री वृषिण पटेल, मंत्री:- यह मुख्यमंत्री का क्या आदेश हुआ कि सेम-सेम करने लगे आप। नेता प्रतिपक्ष, जरा मेरी बात को सुना जाय। माननीय सदस्य ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण के बारे में घोषणा किया था.....

(व्यवधान)

हमारा एक ही है, उन्होंने घोषणा किया कि वहाँ भवन निर्माण हो, एक सूचना उन्होंने दिया। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वहाँ एम०ए० की पढ़ाई होगी कि नहीं, अब जरा बताइये कि दोनों में क्या तारतम्य है ?

श्री नंदकिशोर यादव, नेता विरोधी दल:- महोदय, यह सवाल पूर्व मुख्यमंत्री जी का नहीं है, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का सवाल है महोदय। क्या इस सरकार में मुख्यमंत्री जी के आदेश का भी पालन शिक्षा विभाग नहीं करता है, यह जवाब न दीजिये।

श्री वृषिण पटेल, मंत्री:- पूरा पालन करता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष:- शांति-शांति। माननीय सदस्यों का जिन्होंने पूरक प्रश्न किया है, उनकी भावनाओं को देखते हुए आप शीघ्र-अतिशीघ्र कार्रवाई करेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या:-११७१ (मा०सदस्य श्री गोपालजी ठाकुर)

श्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा, मंत्री:- अध्यक्ष महोदय, खण्ड १:- उत्तर अस्वीकारात्मक है। जहाँ तक राजस्व संग्रह का प्रश्न है, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष ११-१२ में ७४.१५ करोड़ रुपये, वर्ष १२-१३ में ९४.९२ करोड़ रुपये, वर्ष १३-१४ में १४१.४० करोड़ रुपये एवं वर्ष १४-१५ के जून तक ३६.६९ करोड़ रुपये लक्ष्य का ११३.५ परसेंट राजस्व वसूली की गयी है। उत्पाद निरीक्षक, अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक एवं उत्पाद सिपाही की कमी पूरे राज्य में है। रिक्त पदों के विरुद्ध नई नियुक्ति का मामला प्रक्रियाधीन है। उत्पाद सिपाहियों की कमी को पूर्ण करने के निमित्त इस जिले में १+९ दल-बल एवं १+९ गृह रक्षा वाहिनी तैनात है।

खण्ड २:- उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री गोपालजी ठाकुर:- अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के उत्पाद विभाग में दो इन्सपेक्टर का पद है और एक रिक्त है, वही सहायक अवर निरीक्षक का दो पद, वह भी पद रिक्त है, वहाँ पर

अवर सहायक निरीक्षक में ६ में ३ मात्र है, सिपाही ३६ में २६ पद रिक्त है, गाड़ी एक भी नहीं है, वहाँ पर अवैध शराब का धूम मचा हुआ है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि दरभंगा जिला में बेनीपुर और बिरौल अनुमंडल मिला करके एक इन्सपेक्टर का कार्यालय बेनीपुर मुख्यालय में खोलने का विचार रखते हैं।

श्री अवधेश प्र० कुशवाहा,मंत्री : महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरे राज्य में जो माननीय सदस्य ने बताया कि वह कमी है। जहां तक दरभंगा का सवाल है वहां अधीक्षक एक पद दरभंगा में होता है, वह वहां है। निरीक्षक उत्पाद का दो पद है दरभंगा में और एक पद पर पदस्थापित हैं, अवर निरीक्षक उत्पाद का ७ पद है, जिसमें ५ पद पर पदस्थापित हैं, सहायक अवर निरीक्षक का ६ पद है, जिसमें ३ हैं और उत्पाद सिपाही का ३६ पद है, जिसमें १० है और २० सैप के जवान, जो जिला से हैं, तो ऑलरेडी ३० वहां उपलब्ध हैं। उत्पाद लिपिक ६ हैं, जिसमें ५ हैं, भान चालक का एक पद हैं, वहां नहीं हैं, उत्पाद दफ्तरी का एक पद है, वहां एक हैं। इतने पद वहां पर है।

श्री गोपाल जी ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला में माननीय मंत्री जी का विभाग फेल है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने प्रश्न रखा था कि बेनीपुर और बिरौल में उत्पाद निरीक्षक का एक पद रखना चाहते हैं, पदस्थापित करना चाहते हैं, आपकी योजना में अभी है या नहीं है ? यह माननीय सदस्य पूछ रहे हैं।

श्री अवधेश प्र० कुशवाहा,मंत्री : योजना में है और प्रक्रियाधीन है। हमलोग बहाली कर रहे हैं। जैसे ही मिलेगा, हम वहां देंगे।

श्री गोपाल जी ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, एक समय-सीमा चाहेंगे कि कब तक ?

अध्यक्ष : क्या है अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : महोदय, माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि विभिन्न पदों पर इतने-इतने पद खाली है, जिसमें उन्होंने सिपाही के पद पर कहा कि ३६ पद स्वीकृत हैं, जिसमें १० कार्यरत हैं, २६ पद रिक्त है। उसी तरह अन्य पदों के बारे में उन्होंने कहा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये पद कब से रिक्त हैं और उनको भरने के लिये कौन-सी कार्रवाई की गयी है ?

श्री अवधेश प्र० कुशवाहा,मंत्री : महोदय, पूरे राज्य में।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप पूरे राज्य में नहीं जाईये। जिला में ही रहिये।

श्री अवधेश प्र० कुशवाहा,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि कब से रिक्त है, इसका तो मेरे पास जो संचिका है, उसमें जवाब नहीं है कि कब से खाली है

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, क्या आप नियुक्ति की प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं ?

श्री अवधेश प्र० कुशवाहा,मंत्री : जी, बढ़ा रहे हैं। हमने तो स्वीकार किया है कि नियुक्ति की प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि संचिका देखने के बाद कि उनका उत्तर अपूर्ण है। इसलिये इसे स्थगित रखा जाय।

अध्यक्ष : शांति। माननीय सदस्य।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : माननीय मंत्री जी संचिका देखने के बाद स्वयं कह रहे हैं कि सामग्री अपूर्ण है। तो जब अपूर्ण है तो यह स्थगित होगा।

अध्यक्ष : अपूर्ण नहीं कहा है। माननीय मंत्री ने कहा है कि अभी उपलब्ध नहीं है।

टर्न-०५/कृष्ण/२२.०७.२०१४

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : अभी उपलब्ध नहीं है तो भी यह स्थगित होगा।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

17

श्री अवधेश प्र०कुशवाहा,मंत्री : माननीय सदस्य को सूचना उपलब्ध करा दूंगा।

अध्यक्ष : ठीक है। सूचना उपलब्ध करा देंगे।

.....

तारांकित प्रश्न संख्या : ११७२ (मा०स०श्री पवन कुमार जायसवाल)

श्री वृषिण पटेल,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड-१,२ और ३ : वस्तुस्थिति यह है कि निजी विद्यालय के यूनिफॉर्म से संबंधित सरकार स्तर से अभी तक कोई नियमावली नहीं बना है। निजी विद्यालयों पर सी०बी०एस०ई० और आई०सी०एस०सी० का नियंत्रण रहता है।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पूरे राज्य सहित राजधानी के लिये यह एक गंभीर मामला है कि स्कूल ड्रेस के नाम पर अभिभावकों का दोहन किया जाता है। प्रतिवर्ष ३ हजार से ४ हजार रुपया की वसूली स्कूल प्रबंधन स्कूल ड्रेस के नाम पर अभिभावकों से करता है। माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं, वे राज्य के अधीन है कि नहीं है और विद्यालयों में जो स्कूल ड्रेस का काउंटर खोल दिया गया है छोटे विद्यालय जो हैं, वहां का यह सिस्टम है कि के०जी का अलग, नर्सरी का अलग, वन का अलग, टू का अलग ऐसे करके अभिभावकों का दोहन किया जा रहा है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में जिस तरह से ड्रेस का निर्धारण हुआ है क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार की गड़बड़ियों को रोकने के लिये राज्य सरकार स्तर से कोई नियमावली/दिशा-निर्देश बनाने का विचार रखती है कि नहीं ?

श्री वृषिण पटेल,मंत्री : हमने कहा कि वर्तमान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। माननीय सदस्य का यह अनुरोध है कि उसमें गड़बड़ी हो रही है, पैसे की लूट हो रही है।

अध्यक्ष : आप सूचना ग्रहण करते हैं ?

श्री वृषिण पटेल,मंत्री : हां, सूचना ग्रहण करते हैं महोदय।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, हम नाम बता रहे हैं। पटना शहर के लोयला हो, डी०ए०वी० हो, रेडियेंट हो तमाम विद्यालय हैं या तो इनके यहां ड्रेस का काउंटर है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और इसका दाम भी ज्यादा लिया जाता है। माननीय मंत्री से हम यह जानना चाहते हैं कि इस प्रकार की गड़बड़ियों को रोकने के लिये कितने दिनों में सरकार सख्त निर्देश जारी करने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : बैठिये। समेकित उत्तर आ जायेगा।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वित्तीय वर्ष २००२-०३ में इसी सदन में प्राइवेट स्कूलों के इस तरह की विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष समिति बनी थी और विशेष समिति का प्रतिवेदन जिस पर प्राइवेट स्कूल या सी०बी०एस०ई० या